भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, धालभूम जमशेदपुर।

भूमि वापसी वाद संख्या :— 24/2023—24

मदन टुडू(माझी) —बनाम— बिभुति महतो

<table>
<tr><th>दिनांक</th><th>आदेश</th><th>की गई कार्रवाई</th></tr>
<tr><td>30/01/24</td><td>
आवेदक मदन टुडू(माझी), पिता— स्व0 हाड़िराम टुडू(माझी), सा0—तेलीडीह, थाना—बोड़ाम, जिला— पूर्वी सिंहभूम से अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत भूमि वापसी के लिए प्राप्त आवेदन पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71(A) के अधीन इस वाद की कार्रवाई प्रारंम्भ की गई। इस वाद में बिभुति महतो पिता— स्व0 दिवाकर महतो, सा0—पेनादा, थाना—बोड़ाम, जिला— पूर्वी सिंहभूम को विपक्षी बनाया गया है। इस वाद में वादग्रस्त भूमि का विवरण निम्नवत है—

<u>जमीन का विवरण</u>

<table>
<tr><th>मौजा</th><th>थाना नं०</th><th>खाता सं0</th><th>प्लॉट नं0</th><th>रकवा</th></tr>
<tr><td>तेलीडीह</td><td>64</td><td>151</td><td>715</td><td>16डी0</td></tr>
</table>

उपरोक्त भूमि पर जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है। वादग्रस्त भूमि का जांच प्रतिवेदन अभिलेख में मूल रूप में संलग्न है। अंचल अधिकारी, बोड़ाम के द्वारा अपने प्रतिवेदन में वाद की कार्रवाई प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में यह उल्लेख है कि हाल सर्वे के अनुसार मौजा—तेलीडीह, थाना नं0—64, खाता नं0—151, प्लॉट नं0—715, रकवा—16डी0 पंजी—II के रैयत मदन माझी, पिता—स्व0 हाड़ीराम माझी के नाम से दर्ज है, जो आदिवासी भूमि है। विपक्षी बिभुति महतो, पिता—स्व0 दिवाकर महतो, सा0—पेनादा, थाना—बोड़ाम, जिला—पूर्वी सिंहभूम भूमि पर अवैध कब्जा में है। उक्त भूमि को विपक्षी के द्वारा दखल कब्जा किया गया है। आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक—24/01/2024 को अपने दावा के पक्ष में कारणपृच्छा दाखिल किया गया है। जो अभिलेख में मूल रूप में संलग्न है। विपक्षी के द्वारा वादग्रस्त भूमि से संबंधित कोई भी वैध साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रमाणित हो कि अपने या अपने पूर्वज के नाम से वादग्रस्त भूमि खतियान में या पंजी—II में दर्ज हो। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंचल अधिकारी, बोड़ाम के जांच प्रतिवेदन को ही अपना पक्ष में जवाब के रूप में अंगीकार करते हुए बहस किया गया। अंचल अधिकारी के अनुशंसित जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विपक्षी द्वारा वादग्रस्त भूमि अवैध रूप से जबरन दखल किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर कोई मकान निर्मित नहीं है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अपने दावा के पक्ष में प्रस्तुत कारणपृच्छा एवं संलग्न कागजातों तथा अंचल अधिकारी, बोड़ाम के जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जनजाति पंजी—II रैयत की भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि पर कोई मकान निर्मित नहीं है, वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है। छोटा नागपुर अधिनियम के तहत् आदिवासी भूमि को हस्तांतरण के पूर्व उपायुक्त से अनुमति लेना आवश्यक है। वाद में निहित भूमि आदिवासी भूमि है। पूर्व अनुमति से संबंधित उपायुक्त का आदेश विपक्षी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है अर्थात् विपक्षी के द्वारा जिस भूमि को कब्जा किया गया है, वह बगैर उपायुक्त के अनुमति के प्राप्त किया गया है। इससे छो० का० अधि० का धारा 46 का उल्लंघन है। आदिवासी और आदिवासी के बीच हस्तांतरण में भी उपायुक्त से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर मेरा यह अभिमत है कि इस वाद में छो0का0अधि0 की धारा 71(A) का प्रावधान लागु होता है। अतः उक्त धारा के तहत आदेश पारित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि पर से विपक्षी को हटाकर उसका दखल पंजी—II रैयत के जीवित उत्तराधिकारी को वापस दिलाया जाये। तदनुसार अंचल अधिकारी, बोड़ाम को दखल दिहानी परवाना निर्गत करें।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें। अंचल अधिकारी, बोड़ाम को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आदेश की प्रति उपलब्ध करावें।

लेखापित एवं संशोधित
30/1/2024
उपायुक्त
(अधिनियम के अंतर्गत)

लेखापित
30/1/2024
उपायुक्त
(अधिनियम के अंतर्गत)
</td><td></td></tr>
</table>

Digitally signed by GOUTAM KUMAR
Date: 2024.08.29 12.38.02 +05:30
Location: 10.93.20.53

Scanned with OKEN Scanner